उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या- सा-3-933/दस-2010–301-2000

लखनऊ : दिनांक 4 मई, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः– वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा–3–1516/दस–2008–308-97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1 जनवरी, 2006 से राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षित की गयी है तथा समय-समय पर पुनरीक्षित दरों पर महँगाई राहत स्वीकृत किए जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं। तद्नुसार राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है।

2–शासन के सम्मुख ऐसे भी संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित नहीं हुई है या संबंधित कार्मिक ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित नहीं कराया है और तद्नुसार उन्हें अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर पेंशन का लाभ मिल रहा है। ऐसे प्रकरणों में यह बिन्दु संदर्भित है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत महँगाई राहत उन्हें किस दर पर अनुमन्य कराया जाए। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा की गयी है कि उक्त श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत दिनांक 1 जुलाई, 2008 से 54 प्रतिशत तथा 1 जनवरी, 2009 से 64 प्रतिशत की दर से अनुमन्य होगी।

3–यह भी स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्हें अनन्तिम पेंशन मिल रही है, अन्तिम पेंशन स्वीकृत होने तक उन्हें भी उपरोक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित दरों पर महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

4–क्योंकि अनन्तिम पेंशन एवं उस पर महँगाई राहत का भुगतान अधिष्ठान बिलों पर आहरित करके भुगतान किया जाता है, इसलिए यह प्रशासकीय विभागों का दायित्व होगा कि वे उपरोक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना करके भुगतान करें।

5–अतः उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों तथा अनन्तिम पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तद्नुसार महँगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

मनजीत सिंह,

प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या- सा–3–933 (1)/दस–2010–301/2000, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1 व 2 एवं आडिट 1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2–शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ० प्र० शासन।

3–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र० शासन।

4–निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।

5–निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश।

6–समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।

7–समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।

8–सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 10 सा० वित्त–7-5-2010–(223)–3,000 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।